मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

संशोधन

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रेश शासन के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु चयन परीक्षा– 2011

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक(जि.पु.ब.), उप निरीक्षक(वि.शा), उप निरीक्षक (क्यू.डी.), उप निरीक्षक (रेडियो), उप निरीक्षक(अ.ची.) एंव प्लाटून कमांडर के 515 रिक्त पदो पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा 2011 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. उक्त परीक्षा हेतु जारी विज्ञाापन क्र. 47/2011 में "**केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी के लिये**" के स्थान पर "**अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होने के साथ उसके द्वारा मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हायर सेकेंड्री या स्नातक परीक्षा मध्य प्रदेश स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की कोई बाध्यता नही है**", पढ़ा जावें ।
2. नियम पुस्तिका के अध्याय–1 की कंडिका 1.6 (निधार्रित आयु सीमा) की उप कंडिका 1.6.2 में "वे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक हैं, या मध्यप्रदेश शासन में अस्थाई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक हैं, उनकी अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होगी" को विलोपित करते हुए **मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–सी–3–12/2010/1/3, दिनांक 04.06.2010 के अनुसार "वे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक है, या मध्यप्रदेश शासन में अस्थाई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक है, के लिये अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिये 40 वर्ष एंव अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति व पिछडा वर्ग के कर्मचारियों के लिये (05 वर्ष की अतिरिक्त छूट देते हुये) 45 वर्ष रहेगी"** पढा जावे।
3. नियम पुस्तिका के अध्याय–1 की कंडिका 1.9.5 (शारीरिक प्रवीण्यता टेस्ट) में अंकित अंश **मध्यप्रदेश पुलिस अराजपत्रिक कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम–1997 की अनुसूची–5 जो कि मध्यप्रदेश साधारण "राजपत्र दिनांक 22.05.98"** में प्रकाशित है, को विलोपित करते हुए "मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रिक) सेवा भर्ती नियम, 1997 की **"संशोधित अधिसूचना कमांक एफ–2 (अ) 171/2010/बी–4/दो, दिनांक 28.07.11"** पढा जावें ।

विज्ञापन कं : 50 /2011

संचालक
म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
भोपाल